

**कार्यालय कलेक्टर, जिला - कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

क्रमांक /

5523

/भू-अर्जन/2026

-:: अधिसूचना ::-

कोरबा, दिनांक 20/05 .2026

क्रमांक 202204050400003/अ-82/2021-22, चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की, जिला कोरबा के रामपुर मोड़ से डिपरीपारा मुरली मार्ग लंबाई 2.96 कि.मी.निर्माण हेतु, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

**भूमि का वर्णन :-**

- |     |                   |   |           |
|-----|-------------------|---|-----------|
| 01. | जिला              | : | कोरबा     |
| 02. | तहसील             | : | हरदीबाजार |
| 03. | ग्राम             | : | रामपुर    |
| 04. | भूमि का क्षेत्रफल | : | 0.216 हे. |


क्र.	खसरा	अर्जित रकबा (हे.में)
1	1/2 शामिल 4, 5, 7	0.192
2	3	0.024

- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के कार्यालय में किया जा सकता है।
- उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
एवं भू -अर्जन अधिकारी पाली  
जिला- कोरबा (छ.ग.)



(कुणाल दुदावत)  
कलेक्टर  
एवं पदेन उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग